

- :: कार्यालय कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.) :: -
(आदिवासी विकास शाखा)

फैक्स नं. 0788-2323655, ई-मेल - actwd.durg@Gmail.com

क्रमांक / 530 / आ.जा.क. / 6 / पो.मै.छा. / न.क्र. 135 / 2026
प्रति,

दुर्ग, दिनांक 06/07/26

विषय :- सर्व प्राचार्य/संस्था प्रमुख
शासकीय/अशासकीय /विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/
आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक
जिला दुर्ग (छ.ग.)
वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए
ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन
की तिथि की सूचना बाबत।
संदर्भ :- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर का पत्र क्र./STU/171
/2026-Scholarship Section रायपुर दिनांक 15.06.2026

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत जिले में संचालित मान्यता प्राप्त समस्त शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई. में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) की पात्रता रखते हैं, सूचित किया जाता है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के हेतु ऑनलाईन पंजीयन, प्रस्ताव लॉक, स्वीकृति लॉक करने की कार्यवाही postmatric-scholarship.cg.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

संदर्भित पत्र के तहत ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति सत्र 2025-26 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारण किया गया है :-

आवेदन का प्रकार	आवेदन प्राप्ति तिथि	संस्था स्तर पर कार्यवाही हेतु समय-सीमा	संभावित छात्रवृत्ति वितरण तिथि
नवीनीकरण	30 जून 2026 तक	1. अशासकीय संस्थाओं — प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर जिला को भेजना 07 दिवस अधिकतम	18 जुलाई 2026
	30 सितंबर 2026 तक		18 अक्टूबर 2026
	30 नवंबर 2026 तक		18 दिसंबर 2026
	30 दिसंबर 2026 तक		18 जनवरी 2027
नवीन	30 अगस्त 2026 तक	2. शासकीय संस्थाओं — प्राप्त आवेदनों का परीक्षण स्वीकृत कर जिला को भेजना 10 दिवस अधिकतम	18 सितंबर 2026
	30 सितंबर 2026 तक		18 अक्टूबर 2026
	30 नवम्बर 2026 तक		18 दिसंबर 2026
	30 दिसंबर 2026 तक		18 जनवरी 2027

वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन नवीनीकरण के लिए 20 जून 2026 एवं नवीन आवेदन के लिए 01 अगस्त 2026 से छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारम्भ किये जायेंगे। प्राप्त नवीनीकरण एवं नवीन आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही समयावधि में वितरण तिथि के पूर्व स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण कर लिया जाए जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण वितरण एवं भुगतान माह जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जा सकें।

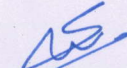
01- छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रु. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, छ.ग.राज्य का मूल निवास प्रमाण-पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।

क्रमशः

(2)

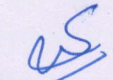
- 02— PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।
- 03— वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।
- 04— वर्ष 2026-27 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (HOI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का Biometric-Authentication किया जाना अनिवार्य है।


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास दुर्ग

पृ. क्रमांक / 531 / आ.जा.क. / 6 / पो.मै.छा. / न.क. 135 / 2026
प्रतिलिपि :-

दुर्ग, दिनांक 06/07/26

- 1 आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सदंर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 कलेक्टर जिला दुर्ग को सादर सूचनार्थ।


सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, दुर्ग